राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1616/2010/उदयपुर

मैसर्स मोवनी एक्सटेन्शन प्रा.लि.,
फतेहनगर, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 4/आरएसटी/2004–05 आदेश दिनांक 02.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवसायी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को **अदम पैरवी अदम हाजरी** में खारिज किया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 03.09.1996 को अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पेश किये गये लेखा–पुक्तकों एवं क्रय–विक्रय बिलों के आधार पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी सोलवेन्ट पद्धति से खल से तेल का निर्माण कर राज्य एवं अन्तर्राज्यीय बिक्री करते है, एवं इस निर्माण इकाई को दिनांक 18.01.1994 को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी का दिनांक 20.11.1996 को अस्थाई कर निर्धारण करके मांग राशि रूपये 27,85,764/– कायम की गई। तत्पश्चात् दिनांक 22.10.1999 को पुनः राजस्थान बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 के अन्तर्गत कर दर की 25 प्रतिशत कर जमा कराने का कानूनी दायित्व होने से उक्त आदेश दिनांक 26.11.1996 के तहत् छूट प्रदान की गई थी। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2008 को अन्तिम कर निर्धारण आदेश

लगातार.....2

पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी पर कुल मांग राशि रूपये 44,255/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 02.03.2010 को आदेश पारित कर अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही उनकी ओर से प्रस्तुत अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी। अतः उन्होंने सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने को निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से दिनांक 08.02.2010 को उनके अधिकृत प्रतिनिधि पेश हुए, परन्तु आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2010 एवं 02.03.2010 को उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर नहीं मिला। अतः न्यायहित में प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, और उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित करें।

7. फलतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य